

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दांडिक0 प्रक0 क0-908 / 14

संस्थापित दि0 24 / 11 / 14

फाईलिंग नं. 233504002562014

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----**अभियोजन**

:- विरुद्ध :-

मनोज पिता डेबू उईके, उम्र 26 वर्ष,
जाति गोंड, पेशा मजदूरी, नि0ग्राम चुटकी,
थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

----- **अभियुक्त**

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 17 / 12 / 2016 को घोषित)

1- अभियुक्त के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 498 "ए" एवं दहेज प्रतिशेद्य अधिनियम की धारा-4 के तहत अभियोग है कि आपने जून 2014 से लगातार एक माह पहले तक फरियादी की ससुराल ग्राम चुटकी थाना आमला जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत श्रीमति सोनीबाई जो कि आप अभियुक्त की पत्नी है, उसके साथ कुरता की। आपने फरियादी से प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से दहेज में पचास हजार रुपये तथा मोटर सायकिल मांगने के लिए शक्ति कर दुष्प्रेरित किया।

2- दिनांक 17 / 12 / 16 को फरियादी सोनीबाई उर्फ सोनम और आरोपी के मध्य राजीनामा होने से राजीनामा आवेदन पत्र पेश किया गया। धारा 498 "ए" एवं दहेज प्रतिशेद्य अधिनियम की धारा-4 राजीनामा योग्य न होने से आवेदन पत्र निरस्त किया गया।

3- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि शादी के करीब एक माह तक उसके पति मनोज ने ठीक ढंग से रखा शादी के एक माह बाद से उसका पति मनोज दहेज कम देने तथा दहेज में पचास हजार रुपये नगद तथा मोटरसाईकिल की मांग करने लगा तथा उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। यह बात जब भी मायके आती तो घर में उसके माता पिता को बताती थी तो घर वाले समझाकर उसे चुटकी भेज देते थे। आज से एक माह पहले उसके पति ने दहेज की मांग को लेकर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर घर से भगा दिया तथा बोला कि दहेज में 50 हजार रुपये तथा मोटर साईकिल लेकर आना तो वह मायका आकर उसके माता पिता को बताई, फिर उसके माता पिता ने उसके पति को काफी समझाया। किन्तु नहीं माना तथा दहेज की मांग की पूर्ति करने पर रखने की बात करता है। उसका पति दहेज की मांग की पूर्ति नहीं करने पर उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते चला आ रहा है।

4- प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 है जिसके आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 910 / 14 भा.द.सं धारा-498 "ए" एवं दहेज प्रतिशेद्य अधिनियम की धारा

3/4 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 02/11/14 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र.पी. 2 तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

5- अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहा कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने अपने बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

6- : न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1-“क्या आपने जून 2014 से लगातार एक माह पहले तक फरियादी की ससुराल ग्राम चुटकी थाना आमला जिला बैतूल म०प्र० के अंतर्गत श्रीमति सोनीबाई जो कि आप अभियुक्त की पत्नी है, उसके साथ कुरता की?”

2- “ उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने फरियादी से प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से दहेज में पचास हजार रुपये तथा मोटर सायकिल मांगने के लिए शस्ति कर दुष्प्रेरित किया?”

-: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-
विचारणीय प्रश्न क० 1, 2 का निराकरण

7- सुविधा की दृष्टि से विचारणीय प्रश्न कं. 1, 2 का निराकरण साथ में किया जा रहा है। क्योंकि प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हों।

8- अभियोजन साक्षी सोनी उर्फ सोनम (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि शादी के बाद घरेलु बातों को लेकर उसके पति से उसका वाद विवाद होता था। आरोपी ने दहेज के लिए परेशान नहीं किया था। उसने गुस्से में आकर घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना आमला में की थी जो प्र०पी० 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उससे शादी का कार्ड जप्त कर जप्ती पत्रक प्र०पी० 2 तैयार किया था जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। शासन की ओर से पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न में इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि आरोपी उससे कम दहेज लाने की बात को लेकर परेशान करता था उससे 50 हजार रुपये नगद एवं मोटर साईकिल की मांग करता था तथा इसी मांग को लेकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 1 का बी से बी भाग एवं पुलिस कथन प्र०पी० 3 का ए से ए भाग लेख करवाई थी। आगे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि उसका उसके पति से राजीनामा हो गया है और उसने उससे तलाक ले लिया है।

9- आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि आरोपी ने उससे दहेज की मांग नहीं की थी। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं किया था। यह गवाह स्वयं फरियादी है और उक्त गवाह ने अपनी मुख्यपरीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में अभियुक्त के द्वारा उसके साथ मानसिक व शारीरिक व रूप से प्रताड़ित कर कुरता की हो और उससे प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से दहेज में पचास हजार रुपये तथा मोटर सायकिल मांगने के लिए शस्ति कर दुष्प्रेरित किया हो, का समर्थन नहीं किया। इस प्रकार इस गवाह

की साक्ष्य से मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से भा०द०वि० की धारा 498 "ए" एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-4 के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

10— अभियोजन साक्षी सुनिताबाई (अ०सा०२) ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

11— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता कारित की। उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह भी स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी से प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से दहेज में पचास हजार रुपये तथा मोटर सायकिल मांगने के लिए शस्ति कर दुष्प्रेरित किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं. 1 व 2 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

12— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता कारित की। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह भी प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी से प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से दहेज में पचास हजार रुपये तथा मोटर सायकिल मांगने के लिए शस्ति कर दुष्प्रेरित किया। इस प्रकार अभियुक्त मनोज को भा०द०वि० की धारा-498 "ए" एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा- 4 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13— अभियुक्त के धारा-313 द०प्र०स० के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्त का धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

14— प्रकरण में जप्त शुदा सामाग्री शादी का कार्ड मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का निर्णय/आदेश मान्य किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं

मेरे बोलने पर टंकित।

दिनांकित कर घोषित किया गया।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०